रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3623
13 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

छावनी प्रशासन का आधुनिकीकरण

3623. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कसौली छावनी बोर्ड ने संशोधित नीतिगत दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक मार्केट बाजार में दुकानों, शेडों और कियोस्क की नीलामी को अस्थायी रूप से रोक दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे प्रभावित इकाइयों की संख्या कितनी है तथा नीलामी रोकने से पहले कितना राजस्व प्राप्त हुआ था;
(ग) क्या प्रस्तावित छावनी बोर्ड नियम, 2026 सरकार के विचाराधीन हैं, यदि हां, तो इसकी स्वीकृति की संभावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या व्यापारियों और जन-प्रतिनिधियों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी समुचित जांच की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) देशभर के छावनी बाजारों में आजीविका की रक्षा करने और संशोधित नीलामी ढांचे का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अंतरिम उपाय किए गए हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख) : जी हां। कसौली छावनी बोर्ड द्वारा कुल 68 स्टॉल/दुकानों/शेडों में से 63 इकाइयों की ई-नीलामी शुरू की गई। इन 63 इकाइयों से प्रतिवर्ष प्राप्त राजस्व (लगभग) 1.18 करोड़ रुपये है।

(ग) : जी हां। मसौदा नियमों में पूर्व सैनिकों तथा अन्य पात्र वर्गों के लिए छावनी बोर्ड की दुकानों के आवंटन में आरक्षण के प्रस्ताव है। नियमों को तैयार करने से पहले इच्छुक व्यक्तियों से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

(घ) : कसौली छावनी बोर्ड द्वारा स्टॉल धारकों और एसडीएम, कसौली तथा डीसी, सोलन से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की गई। साथ ही, दिनांक 20.02.2026 को आयोजित बैठक में छावनी बोर्ड द्वारा दुकानदारों की व्यक्तिगत सुनवाई की गई।

(ङ) : रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) ने छावनी बोर्डों को निदेश दिया है कि नियमों की अधिसूचिना जारी होने तक चल रही/प्रस्तावित नीलामी संबंधी कार्यवाहियों पर अस्थाई रोक लगाई जाए क्योंकि प्रस्तावित उपबंध बोर्डों द्वारा दुकानों के आरक्षण और आवंटन से जुड़े नीतिगत ढांचे को सीधे प्रभावित करेंगे। कसौली छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 267 के तहत जीओसी-इन-सी की पूर्व स्वीकृति या प्रस्तावित नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक, जो पहले हो, के अध्यधीन एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निजी संधि द्वारा मौजूदा पट्टाधारकों के अधिभोग अधिकारों का विस्तार करने का अभिनिर्णय लिया है।
